ई–मेल सम्प्रेषण

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख सतपुड़ा भवन, म.प्र. भोपाल

(शाखा प्रशासन–।।)

क्रमांक/प्रशा.।।/क्षे.स्था.2/2510 भोपाल, दिनांक 25 **अप्रैल 2023**

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक
   (क्षेत्रीय/वन्यप्राणी/सामाजिक वानिकी)
   मध्यप्रदेश
2. समस्त वन संरक्षक/वनमण्डलाधिकारी
   मध्यप्रदेश

विषयः वन विभाग अंतर्गत वनरक्षक को वनपाल के रूप में सहायक परिक्षेत्र वृत्त का उच्चतर पद का कार्यवाहक प्रभार दिये जाने के संबंध में।

संदर्भः म.प्र.शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक F–1/1/3/0004/2022/sec–1–10 दिनांक 24.4.2023

———————

म.प्र.शासन वन विभाग के सन्दर्भित पत्र दिनांक 24.4.2023 से वनरक्षक को वनपाल के रूप में सहायक परिक्षेत्र वृत्त का उच्चतर पद का कार्यवाहक प्रभार दिये जाने के निर्देश जारी किये गये है, जिसकी छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया शासन निर्देशानुसार वनरक्षक को उच्चतर पद का कार्यवाहक प्रभार दिये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

25.04.23

(एच.एस. मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.।।)
म.प्र. भोपाल

क्रमांक/प्रशा.।।/क्षे.स्था.2/2511 भोपाल, दिनांक 25 **अप्रैल 2023**

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी/कार्य आयोजना) प्रगति भवन म.प्र. भोपाल
3. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय वृत्त प्रभारी) म.प्र. भोपाल
4. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना आंचलिक) मध्यप्रदेश
   की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। कृपया इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

25.04.23

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.।।)
म.प्र. भोपाल

E:\17.2.16\SN Singh\Letter-2023.docx

/

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक:F-1/1/3/0004/2022/sec-1-10, भोपाल, दिनांक 24 / 4 /2023

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख,
सतपुड़ा भवन, भोपाल।

विषयः– वन विभाग अंतर्गत वनरक्षक को वनपाल के रूप में सहायक परिक्षेत्र वृत्त का उच्चतर पद का कार्यवाहक प्रभार दिये जाने के संबंध में।

संदर्भः– आपका प्रस्ताव/टीप क्रमांक 2211, दिनांक 30.08.2022

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित टीप के अनुक्रम में राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधीन वन विभाग अंतर्गत वनरक्षक को वनपाल के रूप में सहायक परिक्षेत्र वृत्त का उच्चतर पद का कार्यवाहक प्रभार दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करता हैः–

1. यथा संशोधित ''म.प्र. तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) वन सेवा भर्ती नियम 2000 की अनुसूची–4 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार वनरक्षक को वनपाल पद का कार्यवाहक प्रभार देने हेतु वृत्त स्तर पर वन संरक्षक द्वारा मनोनीत तीन सहायक वन संरक्षक स्तर के अधिकारी एवं तीन वनमण्डलाधिकारी स्तर की छानबीन समिति बनाई जाये। उक्त समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक सदस्य अनिवार्य रूप से रखा जाये। छानबीन समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को छोड़कर नामनिर्दिष्ट सदस्य, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, तब उसी स्तर के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक सदस्य छानबीन समिति में सम्मिलित किया जाएगा और छानबीन समिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जायेगी।

निरन्तर.......2

2. म.प्र. शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक/एफ 11/1/ 2008/नियम/ चार, दिनांक 24.01.2008 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार ''समयमान वेतनमान'' के पात्र शासकीय सेवक ही उच्चतर पद का कार्यभार प्राप्त करने के पात्र होंगे।
3. कार्यवाहक प्रभार के लिये वनरक्षक को वनपाल के रूप में परिक्षेत्र सहायक वृत्त की पात्रता हेतु विगत पांच वर्षों में संनिष्ठा पर संदेह नहीं होना चाहिए। संसूचित नहीं हुई टिप्पणी/संदेह को प्रभार दिये जाने में बाधक नहीं माना जावेगा।
4. यदि किसी कर्मचारी को दो या दो से अधिक समयमान वेतनमान भी मिल गये है तो भी उसे मात्र अगले उच्चतर पद का ही प्रभार दिया जावेगा।

   उदाहरणस्वरूपः– यदि किसी वनरक्षक को 20 वर्ष की सेवा उपरांत दो समयमान वेतनमान प्राप्त हो गये है तो भी उसे वनपाल के रूप में ही उच्चतर पद का प्रभार दिया जावेगा।
5. वनरक्षक को प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
6. यदि कोई कर्मचारी कार्यवाहक प्रभार के लिये पात्र पाये गये कर्मचारियों की सूची में आने के बाद किसी भी कारण से प्रभार प्राप्त करने से इंकार करता है या निर्धारित समयावधि में वनमण्डल में उच्चतर पद पर प्रभार ग्रहण करने के लिए उपस्थित नहीं होता है तो उसका नाम पात्रता सूची से सक्षम प्राधिकारी द्वारा हटाया जाकर प्रभार आदेश निरस्त किया जा सकेगा और फिर अन्य पात्र कर्मचारियों को यह अवसर प्रदान किया जावेगा। यदि भविष्य में ऐसा कर्मचारी पुनः उच्च पद का कार्यवाहक प्रभार प्रदान किये जाने का आवेदन देता है तो प्रकरण पुनः छानबीन समिति को भेजा जायेगा और तदानुसार प्राप्त प्रतिवेदन एवं तत्समय उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

निरन्तर..........3

7. कार्यवाहक प्रभार वाले कर्मचारी को अपने पदनाम के साथ कार्यवाहक शब्द का उल्लेख करना आवश्यक होगा। प्रत्येक वनमण्डल/इकाई में ऐसे कर्मचारियों की पृथक सूची संधारित की जावेगी।
8. कार्यवाहक प्रभार वाले कर्मचारी कार्यवाहक पद के सभी अधिकार एवं दायित्वों का व्यवहरण करने में सक्षम होंगे।
9. कार्यवाहक प्रभार धारण करने की अवधि में उच्च कार्यवाहक पद की वर्दी धारण कर सकेंगे, किन्तु उन्हें इसके लिये अतिरिक्त गणवेश अनुदान भत्ता इत्यादि की पात्रता नहीं होगी।
10. कार्यवाहक प्रभार में उच्च पद पर कार्य करने वाले कर्मचारी सभी वे भत्ते प्राप्त करने के पात्र होंगे जिसे वह कार्यवाहक प्रभार प्राप्त करने से ठीक पूर्व प्राप्त कर रहे थे। किसी अन्य अतिरिक्त या उच्चतर वेतन या वेतनमान या वेतनवृद्धि या भत्ते की पात्रता नहीं होगी। "दोहरा कार्य" भत्ता की भी पात्रता नहीं होगी।
11. कार्यवाहक प्रभार में उच्च पद पर कार्य करने वाले कर्मचारी को दण्ड देने या उसके विरूद्ध विभागीय जांच कार्यवाही संस्थित करने एवं उनके वार्षिक कार्य के मूल्यांकन (ए.सी.आर) की प्रक्रिया धारित उच्चतर कार्यवाहक प्रभार के अनुरूप होगी।
12. कार्यवाहक प्रभार दिये जाने का आदेश किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना/सुनवाई के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्त किया जाकर संबंधित को कार्यवाहक प्रभार से मुक्त किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में उक्त कर्मचारी पदस्थ वनमण्डल/इकाई अंतर्गत ही पूर्वानुसार निम्न पद पर पदस्थ किया जावेगा।
13. कार्यवाहक प्रभार ग्रहण करने वाले किसी भी कर्मचारी को भविष्य में पदोन्नति के विचारण में कार्यवाहक पद की वरीयता का कोई अधिकार नहीं होगा।

निरन्तर........4

14. न्यूनतम 02 वर्ष तक कार्यवाहक प्रभार वाले पदस्थ स्थान पर कार्यरत रहना अनिवार्य होगा। शिकायती जांच के परिणामस्वरूप प्रथम दृष्टया दोष युक्त पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को कार्यभारित प्रभार से हटाया जाकर कार्यरत वनमण्डल/इकाई में पूर्वानुसार निम्न पद पर पदस्थ किया जावेगा।
15. वनरक्षक को वनपाल के रूप में परिक्षेत्र सहायक वृत्त का प्रभार देने पर उन्हें कार्यवाहक प्रभार लेना अनिवार्य होगा, साथ ही बीट का अतिरिक्त प्रभार देने पर उन्हें प्रभार लेना अनिवार्य होगा।
16. कार्यवाहक तौर पर उच्च पद का प्रभार प्राप्त करने वाले कर्मचारी इस आशय का स्वलिखित घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके विरूद्ध किसी भी प्रकार का अपराधिक प्रकरण एवं अन्य कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।
17. कार्यवाहक पद प्राप्त करने वाले वनरक्षक उच्च पद के प्रभार से संबंधित ही कार्य करेंगे। पद परिवर्तन/संविलियन किसी भी दशा में नहीं किया जावेगा।
18. कार्यवाहक प्रभार संबंधी दिशा निर्देश/आदेश कभी भी बिना कारण बताये बिना पूर्व सूचना के निरस्त/संशोधित किये जा सकते है।
19. कार्यवाहक तौर पर उच्च पद का पदभार ग्रहण करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को अपनी पूर्व लिखित अभिस्वीकृति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि उसे इस संबंध में शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पूरी तरह से मान्य हैं।
20. कार्यवाहक के रूप में की गई पदस्थिति पर नियमानुसार यात्रा भत्ते इत्यादि की पात्रता होगी।

निरन्तर.........5

उक्त स्वीकृति शासन से जारी आगामी आदेश अथवा माननीय उच्चतम न्यायालय/म.प्र.शासन से पदोन्नति संबंधी रोक हटने तक लागू होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

24/4/23

(अशोक कुमार)
अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग